संक्षिप्त

गुर्जर देंगे फतेहगढ़ में सेवाएं

आसींद (निसं)। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी भरत राज गुर्जर को भारत- पाक तनाव के बीच जैसलमेर के फतेहगढ़ में उपखण्ड अधिकारी पद पर लगाया गया है वर्तमान में आरएएस भरत राज भीलवाड़ा जिले के आसींद में उपखंड अधिकारी पद पर सेवाएं दे रहे हैं, इससे पूर्व भरत राज अजमेर विकास प्राधिकरण में डिप्टी कमिश्नर पद पर सेवाएं दी है, अजमेर सेवा काल के दौरान भी भरत राज अपनी प्रभावित प्रशासनिक कार्य शैली से जाने जाते थे तथा मसूदा उपखंड अधिकारी रहते हुए देवमाली विलेज को बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी, भारत-पाक तनाव के बीच गुरुवार देर रात जारी राजस्थान के कुल 9 आरएएस अधिकारियों के स्थानांतरण में तकनीकी प्रभावशाली कार्यशैली अधिकारियों को सीमावर्ती क्षेत्र में नियुक्त किया गया है।

अभद्र टिप्पणी करने का आरोपी पकड़ा

सरवाड़ (निसं)। सरवाड़ पुलिस ने सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में एक जने को गिरफ्तार किया गया वहीं अजमेर जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक केकड़ी शोराजमल मीणा द्वारा केकड़ी वृत्तधिकारी हर्षित शर्मा के निकटतम सुपरविजन में सरवाड़ थाना अधिकारी जगदीश प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी की जा रही थी इसी दौरान फतेहगढ़ निवासी चंन्दपाल सिंह जाट (41) साल ओर से सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी किए जाने पर उक्त व्यक्ति को शांतिभंग में गिरफ्तार किया गया इसे उपखंड अधिकारी सरवाड़ के समक्ष पेश कर उपखंड अधिकारी सरवाड़ के आदेश अनुसार केन्द्रीय कारागृह अजमेर में दाखिल करवाया गया वहीं सरवाड़ थाना अधिकारी ने बताया कि सोशल मीडिया पर निरंतर निगरानी की जा रही है किसी भी व्यक्ति द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र या अवांछनीय टिप्पणी किए जाने पर उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जावेगी।

चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी

प्रतापगढ । केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया चैनलों को रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज से बचने की सलाह दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने सभी मीडिया प्लेटफॉर्म्स से जिम्मेदारीपूर्वक रिपोर्टिंग की अपील की है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया चैनलों को रक्षा अभियानों की लाइव कवरेज को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने रक्षा अभियानों और सुरक्षा बलों की गतिविधियों की लाइव कवरेज से बचने की हिदायत दी है।

विधायक कृपलानी के मुख्य आतिथ्य में हुआ समर कैम्प का समापन

निम्बाहेड़ा । हेल्प सोसायटी द्वारा नगर की आदर्श कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगम्बर जैन मांगलिक भवन में आयोजित सात दिवसीय 9 वें निःशुल्क समर कैम्प का समापन पूर्व यूडीएच मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी के मुख्य आतिथ्य एवं भाजपा जिला अध्यक्ष रतनलाल गाडरी की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नगर अध्यक्ष कपिल चौधरी, श्री कल्ला जी वैदिक विश्वविद्यालय के चेयरमैन कैलाश मूंदड़ा, वरिष्ठ भाजपा नेता विरेश चपलोत मौजूद रहे। समर केम्प के समापन समारोह में हेल्प सोसायटी अध्यक्षा एकता सोनी के नेतृत्व में संस्था की सदस्याओं ने गुलदस्ता भेंट कर किया। विधायक कृपलानी सहित अतिथियों ने समर कैंप के प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों को प्रतीक चिन्ह एवं सार्टिफिकेट प्रदान किए। इस दौरान पहलगाव में भारतीय नागरिकों पर हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान पर हुई एयर स्ट्राइक से गदगद अतिथि समर कैंप के आयोजकों एवं प्रतिभागियों के साथ देश भक्ति गीतों पर झूमें। समर कैम्प के समापन समारोह को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि कृपलानी ने कहा कि विगत कई वर्षों से हेल्प सोसायटी लगातर नगर की महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए कुछ न कुछ आयोजन करती रहती है, जिसमें यह निःशुल्क समर कैम्प भी शामिल हैं। इस कैम्प में हेल्प सोसायटी की अध्यक्षा एकता सोनी के नेतृत्व में इनकी सदस्याओं द्वारा नवाचारों के माध्यम से सदैव ही महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता रहा है।

इस अवसर पर विधायक कृपलानी ने हेल्प सोसाइटी की समस्त पदाधिकारियों को समर कैंप आयोजन के लिए धन्यवाद देते हुए भविष्य में भी नगर की महिलाओं एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं स्वावलंबी बनाने के लिए इस तरह के प्रयास जारी रखने के लिए शुभकामनाएं दी। आरम्भ में निःशुल्क समर कैम्प के बारे जानकारी देते हुए सोसायटी अध्यक्ष एकता सोनी ने अतिथियों को बताया कि नगर की महिलाओं और बालिकाओं ने समर कैम्प में बढ़-चढकर हिस्सा लिया। उच्च कोटि के प्रशिक्षकों द्वारा समस्त प्रतिभागियों को सभी निःशुल्क कोर्स के माध्यम से अपनी अपनी कला और हुनर में दक्ष किया गया। समापन समारोह के दौरान हेल्प सोसायटीअध्यक्षा एकता सोना, गणमान्यजन उपस्थित थे।

सात दिवसीय 9 वें निःशुल्क समर कैम्प का समापन पूर्व यूडीएच मंत्री एवं विधायक श्रीचंद कृपलानी के मुख्य आतिथ्य की अध्यक्षता में हुआ।

बर्तन बैंक की स्थापना

अरांई (निसं)। ग्रामीण इलाकों में प्लास्टिक और डिस्पोजल के उपयोग कम करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर बर्तन बैंक बनाए जा रहे हैं इसके तहत अराई पंचायत समिति की ठााम पंचायत सांदोलिया में बर्तन बैंक की स्थापना की गई इसमें शिवम राजीविका शिवम सहायता समूह द्वारा सांदोलिया को 400 सेट बर्तन दिए गए एक सेट में एक थाली तीन कटोरी एक चम्मच एक गिलास शामिल है कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रशासक प्रेम देवी चांगल ने की मुख्य अतिथि रामराज चांगल पूर्व सरपंच सादोलिया विशिष्ट अतिथि प्रकाश चंद पारीक रमेश मालू रामेश्वर चांगल नोरत मेघवंशी रहे इस मौके पर ठााम विकास अधिकारी मुकेश कनिष्ठ सहायक सांवरलाल भील ब्लॉक परियोजना प्रबंधक राजीविका अराई संतोष कलेक्टर प्रभारी राजीविका अराई विजय कुमावत एलआरपी घनश्याम बरोलिया मौजूद रहे इस मौके पर समूह को समझौता ज्ञापन सौप प्रशासक प्रेम देवी ने आमजन को बर्तन बैंक के उपयोग की जानकारी दी इस ऐतिहासिक कार्य के लिए सरकार का आभार व्यक्त किया।

प्रतापगढ़ में15 दिन में 21 बाल विवाह रोके गए

प्रतापगढ़ । जिला प्रशासन प्रतापगढ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रनस एलाइंस, गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर के सयुक्त तत्वावधान में संचालित बाल विवाह मुक्त प्रतापगढ अभियान में अक्षय तृतीया एवं पीपल पुर्णिमा पर संभावित बाल विवाह को रोकने हेतु प्रशासन सतर्क है। आमजन की सहभागिता अधिक से अधिक सुनिश्चित करने हेतु 1100 रूपए का पुरस्कार भी रखा गया है, जो पूरे प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले का नवाचार है।

अब तक जारी हेल्पलाइन 9001841098 व चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर बाल विवाह रोकने की सूचना प्राप्त हुई है, मै आमजन से अपिल करता हूँ कि वे अपने आस-पास कही भी बाल विवाह में किसी भी तरह सहभागी न बने यह कानूनी अपराध है एवं इसकी सूचना तुरन्त प्रशासन को देवे उक्त विचार सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण इकाई, प्रतापगढ़ टी. आर आमेटा ने प्रतापगढ़ जिले में बाल विवाह अधिनियम अन्तर्गत प्रथम निषेधाज्ञा जारी होने के बाद व्यक्त किए। इस अवसर पर बाल अधिकार विशेषज्ञ एवं राजस्थान बाल आयोग, राजस्थान सरकार के पूर्व सदस्य डॉ. शेलेन्द्र पण्ड्या ने जानकारी देते हुए बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 की धारा 13 (1) अन्तर्गत निषेधाज्ञा पहली बार प्रतापगढ़ जिले के जारी हुई इसकी जानकारी मिली, अक्सर सभी स्थानो पर बाल विवाह की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा पाबन्द कर कार्यवाही कि जाती है परन्तु प्रतापगढ़ प्रशासन ने धारा 13(1) अन्तर्गत निषेधाज्ञा जारी कर प्रदेश के सामने उदारहण प्रस्तुत किया है निषेधाज्ञा प्रतापगढ़ जिले के धरियावद वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट धरियावद में न्यायधिश सरफराज नवाज़ द्वारा परिवादी रामचन्द्र मेघवाल, जिला प्रबंधक, गायत्री सेवा संस्थान, उदयपुर के द्वारा परिवेदना के उपरांत आज जारी कि गई है।

निषेधाज्ञा जारी होने के पश्चात् बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की धारा 13 (10) अन्तर्गत अब सम्बंधित पक्ष बाल विवाह करवाता है तो 2 वर्ष का करावास एवं 1 लाख रूपएं से दण्डित किया जा सकता है साथ ही हाने वाला विवाह प्रथम दिन से शुन्य माना जाएगा। डॉ. पंड्या ने बताया कि बाल विवाह करवाने के साथ किसी भी प्रकार से सहयोगी होना जैसे बाराती, पण्डित, हलवाई, टेण्ट, बैंड बाजा इत्यादी भी अपराध की श्रेणी में आतें है। जिला प्रशासन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गायत्री सेवा संस्थान एक्सीस जस्टिस की टिम ब्लॉक स्तर पर कार्यरत है कोई भी व्यक्ति बाल विवाह की सूचना हेल्पलाइन नम्बर 9001841098 व चाइल्ड हेल्पलाइन न. 1098 पर कर सकता है। उनकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी साथ ही सूचना सही पाए जाने पर 1100 रूपए का पुरस्कार भी दिया जाएगा।

महाराणा प्रताप भारतीय स्वाभिमान, गौरव और त्याग के प्रतीक थे : प्रो. सारंगदेवोत

■ **राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति सचिवालय के सभागार में शुक्रवार को आयोजित संगोष्ठी में प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।**

उदयपुर, । मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए अपना सम्पूर्ण जीवन बलिदान करने वाले प्रातः स्मरणीय वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप की जयंती पर जनार्दनराय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय की ओर से कुलपति सचिवालय के सभागार में शुक्रवार को आयोजित संगोष्ठी में प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कुलपति प्रो. शिवसिंह सारंगदेवोत ने अपने संबोधन में कहा कि भारतीय संस्कृति, भारतीय स्वाभिमान, भारतीय गौरव, भारतीय वैभव, भारतीय त्याग, बलिदान, भारतीय शौर्य, वीरता आदि को गाथा के रूप में कहना चाहेंगे तो हमारे सामने एक ही नाम आता है वो है वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप। हर माता-पिता मातृभूमि से यही प्रार्थना करते है कि उसे ऐसे पुत्र को जन्म दें जैसे हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि व्यक्ति अगर स्वतंत्र नहीं है तो वह अपनी इच्छाओं को कभी क्रियान्वित नहीं कर सकता, वो सपने नहीं देख सकता, वो कोई कार्य नहीं कर सकता व आगे भी नहीं बढ सकता। हमें सबसे पहले स्वतंत्र होना है और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए। मेवाड़ को विदेशों में भी महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। अकबर का सपना था कि पूरे देश पर अपना कब्जा कर लूं, सभी राजा, महाराजाओं ने समझौता कर लिया, मेवाड़ में प्रताप ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। कई प्रलोभन भी दिये लेकिन वे अंत तक अडिग रहे। वो चाहते थे कि उनकी प्रजा किसी के अधीन नहीं रहे और अंत तक युद्ध करते रहे और अकबर की सेना को पीछे हटना पडा। महाराणा प्रताप के पांच गुणों पर चर्चा करते हुए कहा कि वे मस्तिष्क को केन्द्र में रखते हुए विचार करते थे और आगे की नीति निर्धारित करते थे। दूसरा गुण शारीरिक शक्ति के अनुशासन वो आयुध धारण करते थे। तीसरा गुण उनका आत्म बल बहुत ही मजबूत था जो किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता को दर्शाता है। वही, उनका चौथा गुण उनकी सधी हुई, दिनचर्या के रूप में था जिसमें ईश्वर स्मरण के साथ प्रारंभ होकर अन्य कार्य को सम्पादित करते थे। पांचवा गुण देश भक्ति स्वाभाविक गुण था जो उन्हे विरासत में मिला था। अध्यक्षता करते हुए कुलाधिपति भंवर लाल गुर्जर ने कहा कि महाराणा प्रताप को वेदों और पुराणों का अच्छी तरह से ज्ञान था। उसी अनुरूप इस पद्धति का युद्ध में प्रयोग किया। प्रताप ने 14 वर्ष की उम्र में पहला युद्ध लड़ा। 1567 में जब अकबर ने चितौड़ पर आक्रमण किया तो वहॉ से प्रताप और उदय सिंह को सुरक्षित निकाला गया। प्रताप की सेना में 20 हजार सैनिक थे जबकि अकबर की सेना में 80 हजार सैनिक थे , उनका पूरा युद्ध गोरिल्ला पद्धति से किया और अंत में अकबर की सेना को पीछे हटना पडा। इस अवसर पर पीठ स्थविर डॉ. कौशल नागदा, प्रो. सरोज गर्ग, प्रो. मलय पानेरी, डॉ. हेमेन्द्र चौधरी, डॉ. युवराज सिंह राठौड़, डॉ. रचना राठौड़, डॉ. सुनिता मुर्डिया, डॉ. शीतल चुग, निजी सचिव केके कुमावत, जितेन्द्र सिंह चौहान, उमराव सिंह राणावत, डॉ. रोहित कुमावत, डॉ. मंगलश्री दुलावत सहित कार्यकर्ताओं ने प्रताप के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा भाव से नमन किया।

व्यवस्थाओं का जायजा लिया

उदयपुर । जिला कलक्टर नमित मेहता ने शुक्रवार को राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय और उपखण्ड अधिकारी कार्यालय, बड़गांव का औचक निरीक्षण किया। जिला कलक्टर बिना किसी पूर्व सूचना के राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय पहुंचे और वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर मेहता ने चिकित्सालय के इंचार्ज डॉ अशोक शर्मा से जानकारी ली।

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)

क्रमांक: F 7 (12) PLAN/ LANDUSE/2024-25/ 745 दिनांक :6/05/2025

आम-सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य सरकार के द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य सिविल रिट संख्या 1554/2004 में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर के द्वारा पारित निर्णय के क्रम में सरकार के विभागीय आदेश दिनांक 20-07-2017 के अनुसार एवं राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर वृहद/व्यापक जनहित के दृष्टिगत मास्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन अनुज्ञये किये जाने के संबंध में प्रदत्त आदेशों/परिपत्रों की अनुपालना में निम्नलिखित प्रकरण भू-उपयोग परिवर्तन बाबत् विचाराधीन है।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	राजस्व ग्राम /योजना	खसरा संख्या /ब्लॉक संख्या	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	भूखण्ड/भूमि की स्थिति	भू-उपयोग परिवर्तन
1	श्री प्यारेलाल पिता श्री शंकर लाल सौलंकी	हवाला खुर्द	3003/2849	-	0.0940 हैक्टेयर	देवाली से बड़ीगांव को जाने वाली प्रस्तावित 100 फीट सडक पर पुलिस अंवेक्षण भवन से पहले स्थित है।	कृषि भूमि के मास्टर प्लान में प्रस्तावित ग्रीन जोन-2 उपयोग से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ

उक्त प्रकरण के भू-उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध मे यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो प्राधिकरण कार्यालय में इस सूचना जारी होने की तिथि से 15 दिवस में किसी भी कार्य दिवस में निम्नहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत कर सकते है। इस समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर भू-उपयोग परिवर्तन बाबत अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। **सचिव, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर**

कार्यालय ग्राम पंचायत सुआवतो का गुड़ा
पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-10 दिनांक-7.5.2025

-:ई निविदा सूचना :-

ग्राम पंचायत सुआवतो का गुड़ा में DMFT योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुआवतो का गुड़ा में दो कमरे निर्माण कार्य हेतु UBN No-ZUD2526WSOB00126 के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

सरपंच ग्राम पंचायत सुआवतों का गुडा पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सुआवतों का गुडा पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत ब्राम्हणों का कलवाना
पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-13 दिनांक-7.5.2025

-:ई निविदा सूचना :-

ग्राम पंचायत ब्राम्हणों का कलवाना में DMFT योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्राम्हणों का कलवाना में दो कमरे निर्माण कार्य हेतु UBN No-ZUD2526WSOB00130 के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

सरपंच ग्राम पंचायत ब्राम्हणों का कलवाना पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत ब्राम्हणों का कलवाना पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

कार्यालय ग्राम पंचायत भानपुरा
पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

क्रमांक:-06 दिनांक-7.5.2025

-:ई निविदा सूचना :-

ग्राम पंचायत भानपुरा में DMFT योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भानपुरा में दो कमरे निर्माण कार्य हेतु UBN No-ZUD2526WSOB00129 के अन्तर्गत ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

विस्तृत विवरण/ जानकारी sppp.rajasthan.gov.in व eproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

सरपंच ग्राम पंचायत भानपुरा पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत भानपुरा पंचायत समिति सायरा, जिला-उदयपुर (राज.)

आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड
आईआरईएल (इंडिया) लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम परमाणु ऊर्जा विभाग)
मनावलकुरिची तमिलनाडु इमेल-purchase-mk@irel.co.in
An ISO 9001 , 14001 & 45001 इकाई, फोनः 04651-200402
CIN : U15100MH1950GOI008187

संदर्भः एमके/पी. विज्ञापन/2025-26/01

निविदा सूचना / टेंडर नोटिस

आईआरईएल मनवालाकुरिची यूनिट निम्नलिखित के लिए निविदा आमंत्रित करती हैः

टेंडर नं.	विवरण
जीईएम/2025/बी/6186960	400-450 किलोग्राम क्षमता वाले सिलेंडरों में भरे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की आपूर्ति
आईआरईएल/एमके/ईटी/01/2526	एमके प्लांट में विभिन्न गोदाम और स्टोर यार्ड का पुनर्निर्माण

बोलीदाता https://gem.gov.in, https://www.irel.co.in और CPP पोर्टल से निविदा दस्तावेज डाउनलोड कर सकते है। उपरोक्त निविदा में कोई भी सुधार / विस्तार केवल उपरोक्त वेवसाइटों पर ही होस्ट किया जाएगा।

CBC 48147/12/0002/2526 CGM & Head, Mk/मुख्य महा प्रबंधक एवं प्रधान, एमके

कार्यालय नगर निगम,उदयपुर (राज.)
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर(राज)313001 दूरभाष सं.0294-2421255,2420013,
Helpline no-0294-2426262 वेबसाईट- www.udaipurmc.org
क्रमांक:-राजस्व /25-26/674 **आपत्ति आमन्त्रण** दिनांक: 9.5.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "नगर निगम विवाह स्थल पंजीयन उप नियम 2010" (अधिनियम 2009 संख्या 18) धारा 340 के तहत नगर निगम क्षैत्र में संचालित विवाह स्थल के संचालको द्वारा उपनियम के तहत विवाह स्थल का पंजीयन किये जाने हेतु नगर निगम में आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त विवाह स्थल पंजीयन के संबंध में किसी को आपत्ति है तो अपनी आपत्तियां मय दस्तावेजो के सूचना प्रकाशन से 15 दिवस में आवश्यक रूप से कार्यालय दिवस में समय पर पेश करें। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात पंजीयन कार्यवाही की जायेगी। समय पर आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर उन आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

1	वाटिका का नाम	होटल भैरव बाग
2	आवेदन कर्ता का नाम	श्री मांगीलाल डांगी एवं हिरालाल डांगी पिता श्री भैरूलाल डांगी
3	विवाह स्थल (वाटिका)	सेलिब्रेशन मॉल के पीछे आश्रम रोड़ उदयपुर
4	क्षैत्रफल (वर्ग फीट)	33120

रजिस्ट्रेशन आवेदन निरस्त करने का अधिकार नगर निगम, उदयपुर में निहित रहेगा।
आयुक्त-नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय नगर निगम,उदयपुर (राज.)
टाउनहॉल लिंक रोड, उदयपुर(राज)313001 दूरभाष सं.0294-2421255,2420013,
Helpline no-0294-2426262 वेबसाईट- www.udaipurmc.org
क्रमांक:-राजस्व /25-26/673 **आपत्ति आमन्त्रण** दिनांक:9.5.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि "नगर निगम विवाह स्थल पंजीयन उप नियम 2010" (अधिनियम 2009 संख्या 18) धारा 340 के तहत नगर निगम क्षैत्र में संचालित विवाह स्थल के संचालको द्वारा उपनियम के तहत विवाह स्थल का पंजीयन किये जाने हेतु नगर निगम में आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त विवाह स्थल पंजीयन के संबंध में किसी को आपत्ति है तो अपनी आपत्तियां मय दस्तावेजो के सूचना प्रकाशन से 15 दिवस में आवश्यक रूप से कार्यालय दिवस में समय पर पेश करें। समयावधि में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात पंजीयन कार्यवाही की जायेगी। समय पर आपत्तियां प्राप्त नहीं होने पर उन आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

1	वाटिका का नाम	राजमंगल गार्डन
2	आवेदन कर्ता का नाम	श्री प्रवीण माली
3	विवाह स्थल (वाटिका)	आर.के. सर्कल, उदयपुर
4	क्षैत्रफल (वर्ग फीट)	35245

रजिस्ट्रेशन आवेदन निरस्त करने का अधिकार नगर निगम, उदयपुर में निहित रहेगा।
आयुक्त-नगर निगम, उदयपुर

कार्यालय उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर (राज.)
क्रमांक : उविप्र/नियमन रिकार्ड/2025/2463 **आम – सूचना** दिनांक :- 7/5/2025

निम्न आवेदनकर्ता द्वारा अपने भूखण्ड का वारीसान/वसीयत/हक त्याग/विक्रय पत्र के आधार पर अपने नाम पर नामान्तरण किये जाने हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत किया गया हैं :-

क्र. सं.	भुखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गफीट)	राजस्व ग्राम एवं खसरा संख्या	आवेदक का नाम / पिता का नाम	मृतक का नाम एवं स्वानित्व का आधार
1.	12-13 (PART/C) (MUT NO.366)	1075	शोभागपुरा खसरा न. 499 ME, 500 ME, 501, 502, 503 ME	श्री नन्द कुमार, नवीन नलवाया पिता श्री रतन लाल नलवाया निवासी:- 12-13, आशीर्वाद नगर, शोभागपुरा, उदयपुर	श्रीमती कविता पत्नी श्री रमेश भण्डारी द्वारा उक्त भूखंड का उपविभाजन करवाया गया। उपविभाजित भूखंड संख्या 12-13/C श्रीमती कला देवी पत्नी श्री रतन लाल जी नलवाया द्वारा उक्त भूखंड को दिनाक 20-03-2009 को क्रम संख्या 2009001964 को क्रय किया गया। जिसके उपरांत श्रीमती कला देवी पत्नी श्री रतन लाल जी नलवाया का स्वर्गवास दिनांक 09-11-2014 को होने पर उनके वारिसानों द्वारा किए गए पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 20-08-2024 के आधार पर नामांतरण चाहा गया है।

अतः उपरोक्तानुसार उक्त भूखण्ड का वारिसान के आधार पर नामान्तरण पत्र जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ फर्म को किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति/एतराज हो तो वो अपनी आपत्ति मय आधारों सहित इस सार्वजनिक सूचना पत्र के प्रकाशन से 07 दिवस की अवधि में इस कार्यालय में संबंधित शाखा के अन्दर इस कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षर कर्ता को प्रस्तुत कर सम्बन्धित शाखा प्रभारी को लिपिक को प्रस्तुत करावें। अन्यथा बाद गुजरने मयाद आवेदक के नाम पर उक्त भूखण्ड का नामान्तरण-पत्र उपरोक्तानुसार आवेदको के नाम पर जारी कर दिया जावेगा।
डॉ. अभिनव शर्मा, तहसीलदार, उदयपुर विकास प्राधिकरण, उदयपुर

जिला स्वास्थ्य समिति, राजसमन्द
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

सं.एनएचएम/लेखा/400 दिनांक: 6/05/2025

निविदा सूचना

जिला स्वास्थ्य समिति, राजसमन्द द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न कार्यो के लिए दर संविदा करने हेतु खुली बोली प्रक्रिया द्वारा इच्छुक निविदादाताओं से दिनांक 9.05.2025 से 26.05.2025 दोपहर 12.00 बजे तक मुहरबंद निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाखो में)	UBIN NO
1	2	3	4
1	नाश्ता व्यवस्था	4.00	MHS2526GSRC00853
2	फ्लेक्सी शीट, विनाइल शीट इत्यादि	8.00	MHS2526GSRC00851
3	पेम्पलेट, स्टीकर, मुद्रण कार्य	4.00	MHS2526GSRC00850
4	स्टेशनरी	7.00	MHS2526GSRC00854
5	आवासीय प्रशिक्षण में आवास व भोजन व्यवस्था	9.50	MHS2526SSRC00854
6	फोटो कॉपी	3.50	MHS2526SSRC00854

नियम एवं शर्ते
1. उक्त सभी कार्यो की निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी कार्यालय एवं SPPP पोर्टल पर देखी जा सकती है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजसमन्द

कार्यालय ग्राम पंचायत तिरोल. कडेच
पं.स. सायरा जिला उदयपुर

क्रमांक: ग्राप/निविदा/25-26 30-04-2025

निविदा सूचना

इस कार्यालय के पत्रांक 1 दिनांक 30.04.2025 द्वारा निम्नलिखित निविदा सूचना द्वारा अनुबन्ध पर कार्य करवाने हेतु निविदा सूचना जारी की गई है। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	निविदा का विवरण	अनुमानित राशि	UBN No
1.	25-26/01/30-04-2025	24.00 लाख	ZUD2526WSOB00122
2.	25-26/01/30-04-2025	24.00 लाख	ZUD2526WSOB00140

निविदा का विस्तृत विवरणwww.sppp.rajasthan.gov.in एवंeproc.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।

सरपंच ग्राम पंचायत तिरोल.कडेच

ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत तिरोल.कडेच